भीम BHIM

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020 जयपुर, दिनांकः–27.02.2024

::आदेश::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट–VI के बिन्दु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

पेंशनर्स को कोषालय/उपकोषालय, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों, पेंशन निदेशालय हेल्प डेस्क में जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने, आधार से ई–मित्र के माध्यम से डिजिटली जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं पेशनर्स को स्वयं के लॉगिन आई.डी. से जिवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की सुविधा उपलब्ध हैं।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.01.2023 के द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31.12.2023 तक बढायी गयी थी, जिसकी निरन्तरता में राज्य सरकार के पेंशनर्स के द्वारा जीवित प्रमाण प्रस्तुत किये जाने की अवधि दिनांक 31.05.2024 तक बढाई जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग में आईडी संख्या 592400046 दिनांक 24.02.2024 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (पेंशन) विभाग

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज.।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय।
12. समस्त कोषाधिकारी।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव 27/2/24

Room No. 7307, 3rd Floor, Food Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)-302005
Phone No. 0141-2385649, 2924323 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfp@rajasthan.gov.in